" नवोदय"

1. संस्था का नाम : " नवोदय"

2. संस्था का निबंधित कार्यालय : इस संस्था का निबंधित कार्यालय द्वारा :– श्री एनिराम बाड़ाईक अपना नगर बिरसा चौक, हिनु राँची–2 झारखण्ड, पिनः–834002
(संस्था के निबंधित कार्यालय का स्थान परिवर्तन किया जा सकता है जिसकी सूचना निबंधित विभाग एवं अन्य संबंधित विभाग को 15 दिनों के अन्दर दे दी जायेगी)

3. कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण झारखण्ड।

4. संस्था का उद्देश्य : इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य रहेंगे।

संस्था के व्दारा कोई भी व्यवसायिक कार्य नही किया जायेगा। उद्देश्य से संबधित अगर भारत सरकार या झारखण्ड सरकार (प्राप्त दान /अनुदान के संबध में) किसी भी विभाग से अनुमोदन लेने की आवश्यक्ता पड़ी तो अनुमोदन लेने के पश्चात ही कार्य प्रारंभ किया जायेगा :–

प्राथमिक उद्देश्य (क) शिक्षा के प्रचार/प्रसार हेतु ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक, उच्च शिक्षा, बी0एड0 कॉलेज, टी0टी0सी0 प्रशिक्षण, मेडिकल कॉलेज, तकनीकी शैक्षणिक संस्थान के विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन, शिक्षण संस्थान की स्थापना तथा संचालन करना। आदर्श विद्यालय, छात्रावास, पुस्तकालय, वचनालय आदि की स्थापना करना। अनौपचारिक शिक्षण, प्रौढ़/वयस्क शिक्षा, संक्षिप्त पाठ्यक्रम के कार्यक्रम, पर्यावरण शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, औषधीय प्रबंधन, शव प्रबंधन, शारिरिक प्रशिक्षण आदि का संचालन करना।

द्वितीय उद्देश्य (क) स्वस्थ्य शरीर के लिए योगशाला, शिविर का आयोजन एवं प्रशिक्षण संस्थान की व्यवस्था करना। गंदी बस्तियों एवं आर्थिक रूप से पिछड़े हुए बस्तियों की सफाई, सुलभ एवं विकास हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों जैसे गंदी नालियों की सफाई, सुभल शौचालय का निर्माण, संक्रामक रोग निरोधन टीके लगवाना एवं ग्रामीण की निजी सफाई के प्रति जागरूक करना।

(ख) महिलाओं को रोजगारोन्मुखी बनाने हेतु फैशन–डिजाईन, ब्यूटी पार्लर, सिलाई, कटाई, बुनाई, काशीदाकारी, पेंटिंग, गुड़िया निर्माण एवं अन्य व्यवसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

(ग) लोगों के आर्थिक विकास हेतु कुटिर उद्योग, लघु उद्योग, गृह उद्योग, कम्प्यूटर, टंकण, आशुलिपि, इलेक्ट्रोनिक, मोमबत्ती निर्माण, साबुन निर्माण, अगरबत्ती निर्माण तथा व्यवसायिक शिक्षा आदि पर आधारित व्यवसाय का प्रशिक्षण एवं संस्थान उपलब्ध कराना। पशुपालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन, मत्स्य पालन, रेशम कीड़ा पालन, बकरी पालन, मधुमक्खी पालन, खरगोश पालन, मशरूम उत्पादन, लाह उत्पादन, खाद एवं फल प्रसंस्करण के बारे में प्रशिक्षण देना।

(घ) समाज के गरीब, पिछडे दलितों, हरिजनों एवं आदिवासियों के आर्थिक, सामाजिक, कला संस्कृति, लोक नृत्य, लोक गीत, ललित कला, सहित्य, इतिहास, भाषा

This CERTIFIED COPY is valid only with the Non Judicial stamp of Rs.3.15

एवं पारम्परिक कला, नैतिक विकास एवं शैक्षणिक विकास हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का संचालन करना। महिलाओं एवं बच्चों की खरीद–फरोक्त पर अंकुष लगाना, कन्या भ्रूण हत्या एवं कन्या के विकास हेतु सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में लागों को जागरूक करना एवं उसे कार्यान्वित कराने की दिषा में कार्य करना। मेघावी एवं गरीब छात्रों को प्रोत्साहित करना।

<u>हमारी संस्था किसी भी प्रकार का व्यावसायिक कार्य नहीं करेगी।</u>

This CERTIFIED COPY is valid only with the Non-Judicial stamp of Rs.3.15

5. <u>संस्था की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का विवरण :–</u>

निम्नलिखित व्यक्ति जिनका पूरा नाम, पिता/पति का पूरा नाम, पूर्ण पता, उम्र शैक्षणिक योग्यता, पेशा पदनाम एवं हस्ताक्षरयुक्त पासपोर्ट आकार का फोटो नीचे अंकित है, संस्था की वर्तमान नियमावली के अनुसार संस्था की कार्यकारिणी समिति के सदस्य है :–

क्र.	पूरा नाम, पिता/पति का पूरा नाम	पूर्ण पता, मकान न0/होल्डिंग न0 गली/रोड़ सं0, मुहल्ला, पोस्ट, थाना, ग्राम/शहर, जिला, (मकान अपना है या किराये का अंकित करें) दूरभाष संख्या	उम्र	शैक्षणिक योग्यता	पेशा	संस्था में पदनाम	स्वहस्ताक्षरयुक्त पासपोर्ट आकार का फोटो	हस्ताक्षर
1	डॉ. बी अनिल कुमार पिता – हरखनाथ बड़ाइक	अपना नगर, बिरसा चौक, राँची, झारखण्ड पिन 83005 मो. 9955830666	40	बी.डी.एस	समाजसेवा	अध्यक्ष		
2.	मदन मोहन महतो पिता– चंद्र मोहन महतो,	ग्राम कांशीडीह, बाबुरामडीह,राँची, झारखण्ड, पिन 835225 मो.नं. 9431554267	40	एम.ए.आर.डी एल.एल बी	समाजसेवा/ वकील	सचिव		
3.	परमानन्द सिंह मुंडा पिता– अजम्बर सिंह मुंडा	सोनाहातु बॉलौक, पाछुवाडीह, लांदुपडीह, लांदुपडीह सोनाहातु राँची झारखण्ड पिन. 83522[illegible] मो. 9835539293	40	एम.बी.बी. एस, डी.सी.एच, पी.जी.पी एन, एम डी.	समाजसेवा	कोषाध्यक्ष		
4.	बाले भगत पिता– स्व धनु भगत	ग्राम – सलैया अम्बा टोली, थाना – किस्को , तिसिया, लोहरदगा, झारखण्ड पिन. 835302 मो. नं. 8102441689	42	आई.एस.सी	नौकरी	सदस्य		

This CERTIFIED COPY is valid only with the Non-Judicial stamp of Rs.3.15

5	करम सिंह मुंडा पिता– स्व जिवन सिंह मुंडा	ग्राम –बुसुडिह, पो. लांदुपडिह, थाना सोनाहातु, जिला राँची, झारखण्ड पिन 835225 मो. 9430355774	41	बी. ए	नौकरी	सदस्य	
6.	प्रणय प्रकाश पिता– नन्दु राम	ग्राम –फलैट नं 1, ब्लाक बी बसुन्धरा स्टेट, निकट सिंचाई कॉलोनी, पो. एम. जी.एम जमषेदपुर, पुर्वी सिंहभूम, झारखण्ड 831018 मो. 9430357665	42	बी. ए	नौकरी	सदस्य	
7.	रविन्द्र कुमार पिता– कामेश्वर शर्मा,	145 रोड नं0–10, आदित्य गार्डन, आदित्यपुर, फोरेस्ट ब्लॅक, आदित्यपुर इनडस्ट्रीयल एरिया, सरायकेला–खरसावॉं, झारखण्ड, पिन 832109 मे. 9431113356	38	बी.एस.सी	प्राइभेट नौकरी	सदस्य	
8.	सीमा खाखा पिता– शशिकांत जोजो	मकान . नं 182 नया टोली, हुलहुन्डु, थाना– हटिया हटिया राँची, झारखण्ड पिन 835221 मो. 8294981050	37	बी.ए	समाजसेविका	सदस्य	
9	आभाष नाथ पिता – त्रिभुवन नाथ,	799 पंचसील नगर, इन्फ्रोंट ऑफ बी ओ... पंडरा हेहल, रांची झारखण्ड पिन 834005 मो. 9530400347	37	बी.एस.सी एम.बी.ए	नौकरी	सदस्य	

This CERTIFIED COPY is valid only with the Non-Judicial stamp of Rs.3.15

10	पुस्कर सिंह मुन्डा पिता – मंगल सिंह मुन्डा	कैसन टोंगरी, पो.– पोगरा, जिला राँची, झारखण्ड पिन 835102 मो. 9470517457	40	एम.ए	समाजसेवा / नौकरी	सदस्य		
11	जुगुन मुन्डा पिता– गेतुणा मुन्डा	मकान नं 15, सनिका कलॉनी डुमरदगा, पोस्ट– बुटी मोर, जिला– राँची, झारखण्ड पिन. 835103	47	इंटर	समाजसेवा / प्राइभेट नौकरी	सदस्य		
12	पवन कुमार कश्यप पिता– श्री जगदीश राम	नामकोम रोड, पिपराटोली, खुँटी– 835210	38	बी.कॉम	समाजसेवा	सदस्य		
13	राजिव चौरसिया पिता– सत्य नारायण चौरसिया,	बी– 105 एच.ई.सी कालोनी, सेक्टर 1,धुर्वा राँची, झारखण्ड पिन 834004 मो नं 9431326434	38	बी कॉम एल.एल.बी	समाजसेवा / नौकरी	सदस्य		
14	अरविन्द कुमार पिता– राम कृष्णा कच्छप	सिरडु, बुरमु, बुरमु राँची झारखण्ड पिन 835214 मो. 7070476105	35	एम.एस.सी	समाजसेवा / प्राइभेट नौकरी	सदस्य		

This CERTIFIED COPY is valid only with the Non-Judicial stamp of Rs.3.15

15	मोहम्मद अकरम पिता– साकिल अहमद	फलैट नं ए1, 1फलॉर उम्मु टावर, रोय कमपाउण्ड, डॉ फातुल्लाह रोड, रॉंची जी. पी.ओ रॉंची झारखण्ड पिन 834001 मो. 9852894261	35	बी टेक	समाजसेवा	सदस्य		
16	जॉर्ज एक्का पिता – मासीह चरण एक्का	पुरलिया रोड रॉंची, कुम्हार टोली दूसरा गली, रॉंची जि.पी.ओ.,रॉंची, झारखण्ड पिन.–834001 मो. 8252506501	41	बी.ए	समाजसेवा	सदस्य		
17	हेमंत कुमार पिता– श्री शत्रुघ्न महतो	179, बोंगारु, ग्राम, बी नावाडीह, थाना– राहे, पतरातु, जिला– रॉंची झारखण्ड पिन– 835102 7352339914	34	एम. ए	समाजसेवा	सदस्य		
18	रितेश कुमार पोद्दार पिता– सुरेश चन्द्र पोद्दार	पतराहातु, पतराहातु सिल्ली, रॉंची, झारखण्ड पिन–835102 मो 7488091540	39	आइ.एस. सी	समाजसेवा	सदस्य		

This CERTIFIED COPY is valid only with the Non-Judicial stamp of Rs.3.15

6. <u>आकांक्षी व्यक्तियों की सूची एवं विवरण</u> : –

निम्नलिखित व्यक्ति जिनका पूरा नाम, पिता / पति का पूरा नाम, पूर्ण पता, उम्र, शैक्षणिक योग्यता, पेशा, हस्ताक्षरयुक्त पासपोर्ट आकार का फोटो नीचे अंकित है, संस्था निबंधन अधिनियम 21, 1860 के अन्तर्गत उस संस्था के निबंधन के आकांक्षी हैं :–

क्र.	पूरा नाम, पिता / पति का पूरा नाम	पूर्ण पता, मकान न0 / होल्डिंग न0 गली / रोड़ सं0, मुहल्ला, पोस्ट, थाना, ग्राम / शहर, जिला, (मकान अपना है या किराये का अंकित करें) दूरभाष संख्या	उम्र	शैक्षणिक योग्यता	पेशा	स्वहस्ताक्षरयुक्त पासपोर्ट आकार का फोटो	हस्ताक्षर
1	डॉ. बी अनिल कुमार पिता – हरखनाथ बड़ाइक	अपना नगर, बिरसा चौक, राँची, झारखण्ड पिन 83005 मो. 9955830666	40	बी.डी.एस	समाजसेवा		
2.	मदन मोहन महतो पिता– चंद्र मोहन महतो,	ग्राम कांशीडीह, बाबुरामडीह,राँची, झारखण्ड, पिन 835225 मो.नं. 9431554267	40	एम.ए.आर. डी एल.एल बी	समाजसेवा / वकील		
3.	परमानन्द सिंह मुंडा पिता– अजम्बर सिंह मुंडा	सोनाहातु बॉलौक, पाछुवाडीह, लांदुपडीह, लांदुपडीह सोनाहातु राँची, झारखण्ड पिन. 835225 मो. 9835539293	40	एम.बी.बी. एस. एम.डी. डी. सी.एच. पी. जी.पी एन. एम डी.	समाजसेवा		
4.	बाले भगत पिता– स्व धन[illegible]	ग्राम – सलैया अम्बा टोली, थाना – किस्को , तिसिया, लोहरदगा, झारखण्ड पिन. 835302 मो. नं. 8102441689	42	आई.एस.सी	नौकरी		

This CERTIFIED COPY is valid only with the Non-Judicial Stamp of Rs.3.15

5	करम सिंह मुंडा पिता– स्व जिवन सिंह मुंडा	ग्राम –बुसुडिह, पो. लांदुपडिह, थाना सोनाहातु, जिला राँची, झारखण्ड पिन 835225 मो. 9430355774	41	बी. ए	नौकरी		
6.	प्रणय प्रकाश पिता– नन्दु राम	ग्राम –फलैट नं 1, ब्लाक बी बसुन्धरा स्टेट, निकट सिंचाई कॉलोनी, पो. एम. जी.एम जमषेदपुर, पुर्वी सिंहभूम, झारखण्ड 831018 मो. 9430357665	42	बी. ए	नौकरी		
7.	रविन्द्र कुमार पिता– कामेश्वर शर्मा,	145 रोड नं0–10, आदित्य गार्डन, आदित्यपुर, फोरेस्ट ब्लॅक, आदित्यपुर इनडस्ट्रीयल एरिया, सरायकेला–खररावाँ, झारखण्ड, पिन 832109 मे. 9431113356	38	बी.एस.सी	प्राइभेट नौकरी	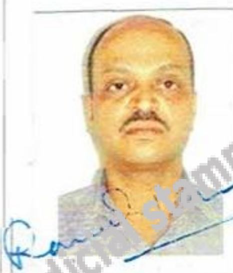	
8.	सीमा खाखा पिता– शशिकांत जोजो	मकान . नं 182 नया टोली, हुलहुन्डु, थाना– हटिया हटिया राँची, झारखण्ड पिन 835221 मो. 8294981050	37	बी.ए	समाजसेविका		
9	आभाष नाथ पिता – त्रिभुवन नाथ,	799 पंचसील न[illegible] इन्फोंट ऑफ[illegible] ओ आई पंडरा [illegible], राँची, झारखण्ड पिन 834005 मो. 9530400347	37	बी.एस.सी एम.बी.ए	नौकरी		

This CERTIFIED COPY is valid only with the Non-Judicial Stamp of Rs.3.15

10	पुष्कर सिंह मुन्डा पिता – मंगल सिंह मुन्डा	कासन टुंगरी, पो.– पोगड़ा, जिला राँची, झारखण्ड पिन 835102 मो. 9470517457	40	एम.ए	नौकरी		
11	जुगुन मुन्डा पिता– गेतुणा मुन्डा	मकान नं 15, सनिका कलॉनी डुमरदगा, पोस्ट– बुटी मोड़, जिला– राँची, झारखण्ड पिन. 835103	47	इंटर	समाजसेवा		
12	पवन कुमार कश्यप पिता– श्री जगदीश राम	नामकोम रोड, पिपराटोली, खुँटी– 835210	38	बी.कॉम	समाजसेवा		
13	राजीव चौरसिया पिता– सत्य नारायण चौरसिया,	बी– 105 एच.ई.सी कालोनी, सेक्टर 1,धुर्वा राँची, झारखण्ड पिन 834004 मो नं 9431326434	38	बी कॉम एल.एल.बी	[illegible]		
14	अरविन्द कुमार पिता– राम कृष्णा कच्छप	सि[illegible] बुरमु, बुरमु राँची [illegible]खण्ड पिन 835214 मो. 7070476105	35	एम.एस.सी	समाजसेवा		

This CERTIFIED COPY is valid only with the Non-Judicial stamp of Rs.3.15

15	मोहम्मद अकरम पिता– साकिल अहमद	फलैट नं ए1, 1फलॉर उम्मु टावर, रोय कमपाउण्ड, डॉ फातुल्लाह रोड, राँची जी.पी.ओ राँची झारखण्ड पिन 834001 मो. 9852894261	35	बी टेक	समाजसेवा		
16	जॉर्ज एक्का पिता – मासीह चरण एक्का	पुरलिया रोड राँची, कुम्हार टोली दूसरा गली, राँची जि.पी.ओ.,राँची, झारखण्ड पिन.–834001 मो. 8252506501	41	बी.ए	समाजसेवा		
17	हेमंत कुमार पिता– श्री शत्रुघ्न महतो	179, बोंगारु, ग्राम, बी नावाडीह, थाना– राहे, पतरातु, जिला– राँची झारखण्ड पिन– 835102 7352339914	34	एम. ए	समाजसेवा		
18	रितेश कुमार पोद्दार पिता– सुरेश चन्द्र पोद्दार	पतराहातु, पतराहातु सिल्ली, राँची, झारखण्ड पिन–835102 मो 7488091540	39	आइ.एस.सी	समाजसेवा		

This CERTIFIED COPY is valid only with the Non-Judicial stamp of Rs.3.15

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त व्यक्ति, जिनका फोटो ऊपर चिपका है तथा हस्ताक्षर ऊपर अंकित है, ने मेरे समक्ष हस्ताक्षर किया है।

राजपत्रित पदा0 (राज्य अथवा केन्द्रीय) डाक्टर्स / इंजीनियर्स / नोटरी / विद्यालय / महाविद्यालय के प्राचार्य / बैंक या इन्श्योरेन्स ऑफिसर्स / पब्लिक सेक्टर के पदाधिकारी आदि (नाम, पदनाम एवं मुहरयुक्त हस्ताक्षर)

''नवोदय''

की

नियमावली

1. परिभाषा :–

(क)	संस्था से अभिप्राय है	:–	''नवोदय''
(ख)	समिति से अभिप्राय है	:–	संस्था की कार्यकारिणी समिति।
(ग)	वित्तीय वर्ष से अभिप्राय है	:–	1 अप्रैल से 31 मार्च।
(घ)	आम सभा से अभिप्राय है	:–	संस्था के सभी सदस्यों से बनी सभा।
(ड़)	पदाधिकारी से अभिप्राय है	:–	अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष।
(च)	अधिनियम से अभिप्राय है	:–	संस्था निबंधन अधिनियम 21, 1860

2. <u>संस्था की सदस्यता की शर्ते</u> :–

प्रत्येक भारतीय नागरिक जिनकी उम्र–18 वर्ष से अधिक की हो, जो इस संस्था के नियम एवं उद्देष्यों का निष्ठापूर्वक पालन करते हों तथा इसके कार्यों में अभिरूचि रखते हो, इस संस्था के सदस्य बन सकते है। सदस्यता प्राप्ति हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन देना होगा जिसकी स्वीकृति या अस्वीकृति कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रदान की जायेगी। संस्था के प्रत्येक सदस्य को 200.00 (दो सौ) रूपये प्रवेश शुल्क एवं 50.00 (पचास रूपये) मासिक शुल्क देना अनिवार्य होगा। कार्यकारिणी समिति शुल्क में परिवर्तन कर सकती है।

3. <u>संस्था की सदस्यता की समाप्ति</u> :–

निम्नलिखित अवस्था में सदस्यों की सदस्यता समाप्त मानी जायेगी –

क. स्वयं त्याग पत्र देने पर।
ख. पागल या दिवालिया घोषित होने पर।
ग. मृत्यु होने पर।
घ. समिति द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर।
ड़. सदस्यता शुल्क नहीं देने पर।
च. संस्था की बैठक में लगातार तीन बार अनुपस्थित होने पर।
छ. न्यायालय द्वारा किसी अपराधिक मामले में दण्डित होने पर।
ज. संस्था के नियमों एवं उदेदश्यों के विपरीत अचारण करने पर।

4. कार्यकारिणी समिति का गठन :–

क. संस्था की कार्यकारिणी समिति में पदाधिकारियों (अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष) सहित कुल 18 (अठारह) सदस्य होंगे।
ख. कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल 5 (पाँच) वर्षों की होगी।
ग. कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चुनाव आम सभा द्वारा होगा। निवृत्त सदस्य पुनः चुने जा सकते है।

5. <u>कार्यकारिणी समिति का कार्य एवं अधिकार</u> :–

क) संस्था के कार्यों एवं योजनाओं पर निगरानी रखना एवं संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपेक्षित निर्देष देना।
ख) संस्था के चल या अचल सम्पत्ति के लिए उत्तरदायी होना।

This CERTIFIED COPY is valid only with the Non-Judicial stamp of Rs.3.15

2) समिति के आय–व्यय का हिसाब रखना, आय–व्यय का लेखा तैयार करने एवं सुरक्षित रखने में सचिव को सहयोग करना।
3) आमसभा में आय–व्यय लेखा प्रस्तुत करने में सचिव को सहयोग करना, उसे बैठक में रखना तथा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना।
4) सदस्यता शुल्क इत्यादि प्राप्त कर रसीद देना।
5) कार्यकारिणी की बैठक में वित्तीय विषयों पर उत्तर देना।
6) आय के नए स्त्रोतों की खोज करना एवं तत्संबंधी परामर्ष कार्यकारिणी को देना।
7) संस्था के लेखा का अंकेक्षण करवाना एवं संबंधित प्रतिवेदन आमसभा में रखना।

7. **आमसभा का कार्य एवं अधिकार :–**

क. कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का निर्वाचन करना।
ख. संस्था की योजना, बजट, अंकेक्षित लेखा एवं प्रगति प्रतिवेदन को पारित करना।
ग. संस्था की लेखा के अंकेक्षण हेतु आम सभा के 3/5 सदस्यों की सहमति से अंकेक्षण की नियुक्ति करना।
घ. संस्था के स्मृतिपत्र एवं नियमावली में संशोधन लाना ।
ड. संस्था के विघटन पर निर्णय लेना ।
च. अध्यक्ष की राय से अन्य विषयों पर विचार करना।
छ. संस्था के वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन को पारित करना।

8. **आमसभा की बैठकें :–**

क) आमसभा की वार्षिक बैठक वर्ष में एक बार होगी तथा आमसभा की विशेष बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है।
ख) आमसभा के 1/3 सदस्यों के लिखित मांग, जिसमें अधियाचना करने वाले सदस्यों का हस्ताक्षर एवं बैठक में विचारणीय बिन्दु का स्पष्ट उल्लेख रहेगा, पर अधियाचना प्राप्ति के 30 (तीस) दिनों के भीतर संस्था के सचिव की आमसभा की बैठक बुलानी होगी। यदि तीस दिनों के भीतर सचिव द्वारा बैठक नहीं बुलाई जायेगी तब अधियाचना करने वाले सदस्यों को अधिकार होगा कि वे आमसभा के सभी सदस्यों को सूचना भेजकर आमसभा की अधियाचित बैठक अधियाचना में अंकित विषय पर निर्णय ले सकते हैं।
ग) कोरम :– आमसभा की सभी बैठकों के लिए कोरम कुल सदस्य संस्था के आधे से एक अधिक होगी (50% +1)
घ) बैठक की सूचना :–
(1) आम सभा की सभी बैठकों के लिए सूचना बैठक की तिथि से कम–से–कम दस दिनों पुर्व दी जायेगी।
(2) बैठक की सूचना निबंधित डाक या सूचनाबही में हस्ताक्षर प्राप्त करके दी जायेगी।

9. **कार्यकारिणी समिति की बैठकें :–**

क) कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रत्येक माह होगी, जिसकी सूचना कम–से–कम सात दिन पूर्व दी जायेगी। बैठक में भाग लेना सभी सदस्यों के लिए अनिवार्य है।
ख) आवश्यकता पड़ने पर बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है, जिसकी सूचना कम–से–कम 48 घंटे पूर्व दी जायेगी।

This CERTIFIED COPY is valid only with the Non-Judicial stamp of Rs.3.15

ग) संस्था के सभी कार्यों का सम्पादन विधिवत करना और प्रस्ताव पारित करना एवं आवश्यकतानुसार उपसमिति का गठन करना।

घ) संस्था के विरूद्ध आचरण करने वाले या अनैतिक कार्य करने वाले सदस्यों के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना।

ड) आमसभा की बैठक की तिथि, स्थान एवं कार्यावली निर्धारित करना।

च) संस्था की योजना एवं बजट तैयार एवं पारित कर आमसभा के समक्ष रखना।

छ) संस्था के स्मृति पत्र एवं नियमावली में संशोधन एवं संस्था के विघटन के संबंध में अपनी अनुशंसा आमसभा के पास भेजना।

ज) उद्देष्यों की पूर्ति हेतु अन्य वैद्यानिक कार्य करना।

झ) आमसभा द्वारा पारित प्रस्तावों को कार्यरूप देना।

ञ) यदि कार्यकाल पूरा करने के पूर्व किसी कारणवश समिति में कोई पद रिक्त होगा तो कार्यकारिणी समिति उक्त पद पर किसी व्यक्ति को मनोनीत कर सकती है। लेकिन आमसभा की वार्षिक बैठक में उसे विधिवत् पारित कराना होगा। मनोनीत सदस्य उसी पद के अनुरूप कार्य करेंगे जिस पद के लिए उनका मनोनयन किया गया है।

ट) संस्था में बहुमत के आधार पर किसी भी सदस्य/पदाधिकारी को उसके सदस्यता पद से हटाया जा सकता है।

6. <u>पदाधिकारियों का कार्य एवं अधिकार</u> :–

(क) <u>अध्यक्ष</u> :–

1) संस्था की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करना।
2) संस्था के कार्यवाही पंजी में हस्ताक्षर करना।
3) किसी बैठक में समान मत की स्थिति में निर्णायक मद देना।
4) संस्था की गतिविधियों पर निगरानी रखना।
5) सचिव को कर्मचारियों की नियुक्ति एवं बर्खास्तगी में सहयोग प्रदान करना।
6) किसी भी तरह की बैठक बुलाने हेतु समय–समय पर सचिव को परामर्ष देना।
7) आवश्यकतानुसार किसी भी अधिकारी या दूसरे संगठन की बैठक में संस्था का प्रतिनिधित्व करना।
8) समय–समय पर कार्यकारिणी समिति द्वारा सौंपे गए कार्यों एवं दायित्वों को पूरा करना।

(ख) <u>सचिव</u> :–

1) बैठक का आयोजन करना।
2) अध्यक्ष की राय से अन्य कार्य करना।
3) संस्था की ओर से पत्राचार करना।
4) प्रत्येक पंजी एवं कागजात को सुरक्षित रखना।
5) संस्था की आय–व्यय का अंकेक्षण कराना।
6) अध्यक्ष से हस्ताक्षर कराकर अपना हस्ताक्षर करना।
7) बैठक के कार्यवाही को कार्यवाही पंजी में अंकित करना।
8) आवश्यकता पड़ने पर समिति के बिना पूर्व अनुमति के 15,000.00 (पाँन्द्रह हजार) रूपये तक खर्च कर सकते है, लेकिन आगामी बैठक में इसकी स्वीकृति ले लेना अनिवार्य होगा।
9) परियोजना बनाना तथा सोसाईटी का समस्त वित्तीय कार्य करना।

(ग) <u>कोषाध्यक्ष</u> :–

1) कार्यकारिणी समिति द्वारा सौंपे गए वित्तीय कार्यो एवं दायित्वों को पूरा करना।

This CERTIFIED COPY is valid only with the Non-Judicial stamp of Rs.3.15

ग) सूचना डाक द्वारा या सूचनाबही पर हस्ताक्षर प्राप्त कर या विषेष दूत के द्वारा दी जायेगी।

10. **आय का श्रोत :–**

क) सदस्यों का प्रवेश शुल्क एवं सदस्यता शुल्क।
ख) सरकारी एवं गैर–सरकारी अनुदान।
ग) विषेश शुल्क एवं दान।
घ) सांस्कृतिक कार्यक्रम के सहयोगी राशि/सेवा से प्राप्त राशि।
ड.) सेवा/कार्य/समाग्री वितरण से प्राप्त अल्पशुल्क।
च) संस्था किसी व्यक्ति/किसी समूह/बैंक/संगठन/सरकार से ऋण ले सकती है।

11. **कोष की व्यवस्था / बैंक खाते का संचालन :–**

क. संस्था के प्राप्त होने वाली सभी राशियाँ संस्था के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/डाकघर में खुले खाते में रखी जाएगी तथा किसी भी रकम की निकासी संस्था के अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो के संयुक्त हस्ताक्षर से की जायगी।

12. **अंकेक्षण :–**

क) संस्था की लेखा का संधारण नियमित रूप से रखा जायेगा तथा प्रत्येक वर्ष आमसभा द्वारा नियुक्त अंकेक्षण से उसका अंकेक्षण कराया जाएगा ।
ख) निबंधन महानिरीक्षक, झारखंड, राँची जब भी चाहें संस्था की लेखा का अंकेक्षण किसी चाटर्ड एकाउन्टेन्ट से करा सकते हैं, जिसका शुल्क संस्था द्वारा वहन किया जाएगा।

13. **संशोधन :–**

संस्था के स्मृति पत्र एवं नियमावली में कोई भी संशोधन संस्था की आमसभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही किया जाएगा तथा संस्था निबंधन अधिनियम 21,1860 की संगत धारा एवं झारखण्ड संस्था नियमावली के संगत नियम का पूर्णतः पालन किया जाएगा ।

14. **पंजी का निरीक्षण :–**

संस्था की सभी पंजियाँ संस्था के निबंधित कार्यालय में संस्था के सचिव के जिम्मे रहेगी, जहाँ कोई भी सदस्य / सरकारी अधिकारी सचिव की पुर्व अनुमति से उनका निरीक्षण कर सकते हैं।

15. **कानूनी कार्रवाई :–**

संस्था द्वारा या संस्था के विरूद्ध कोई भी कानूनी कार्रवाई संस्था के सचिव के पदनाम से होगी।

16. **संस्था का विघटन एवं विघटनोंपरान्त सम्पत्ति की व्यवस्था :–**

क) यदि किसी कारणवश संस्था का विघटन करने की आवश्यकता कार्यकारिणी समिति द्वारा समझी जाएगी तब कार्यकारिणी समिति तत्संबंधी प्रस्ताव पारित कर उसे आमसभा की विशेष बैठक में रखेगा। आमसभा के 3/5 सदस्यों के बहुमत से ही संस्था के विघटन पर निर्णय लिया जाएगा तथा उसे पुनः आमसभा की दूसरी विशेष बैठक के 3/5 बहुमत से सम्पुष्ट कराने के बाद ही संस्था विघटित होगी।

This CERTIFIED COPY is valid only with the Non-Judicial stamp of Rs.3.15

ख) विघटन के बाद संस्था के सभी दायित्वों के सामंजन के बाद संस्था की जो भी सम्पत्ति शेष रहेगी, वह संस्था के किसी सदस्य या वाह्य व्यक्ति को नहीं दी जायेगी, बल्कि आमसभा के 3/5 सदस्यों के बहुमत से समान उद्देश्य वाली झारखण्ड राज्य में निबंधित किसी संस्था या झारखण्ड सरकार को दे दी जाएगी।

ग) संस्था के विघटन के समय निबंधन अधिनियम 21, 1860 की धारा–13 एवं 14 पूर्णतः पालन किया जाएगा।

प्रमाणित किया जाता है कि यह **"नवोदय"** नामक संस्था की सच्ची प्रति है।

अध्यक्ष | सचिव | कोषाध्यक्ष

This CERTIFIED COPY is valid only with the Non-Judicial stamp of Rs.3.15

आवेदन संख्या 8449

संस्थाओं के निबंधन का प्रमाण-पत्र

(ऐक्ट XXI, 1860)

जिला Ranchi

निबंधन संख्या 10

वर्ष 2019-2020

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि NAVODAYA

सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट XXI, 1860 के अधीन आज यथावत् निबंधित हुआ/हुई।

आज तारीख 23 मास 4 वर्ष दो हजार 19 को

राँची में मेरे हस्ताक्षर के साथ दिया गया।

झारखण्ड सरकार

वास्ते, महानिरीक्षक, निबंधन, झारखण्ड राँची

इस प्रमाण पत्र की सत्यता विभागीय वेबसाइट regd.jharkhand.gov.in में संस्था निबंधन मेनू पर जा कर आवेदन संख्या के आधार पर की जा सकती है।

This CERTIFIED COPY is valid only with the Non-Judicial stamp of Rs.3.15

आवेदन संख्या 8449

संस्थाओं के निबंधन का प्रमाण-पत्र

जिला Ranchi

निबंधन संख्या 10

(ऐक्ट XXI, 1860)

वर्ष 2019-2020

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि NAVODAYA

सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट XXI, 1860 के अधीन आज यथावत् निबंधित हुआ/हुई।

आज तारीख 23 *मास* 4 *वर्ष दो हजार* 19 *को*

राँची में मेरे हस्ताक्षर के साथ दिया गया।

झारखण्ड सरकार

वास्ते, महानिरीक्षक, निबंधन, झारखण्ड राँची

इस प्रमाण पत्र की सत्यता विभागीय वेबसाइट regd.jharkhand.gov.in में संस्था निबंधन मेनू पर जा कर आवेदन संख्या के आधार पर की जा सकती है।

This CERTIFIED COPY is valid only with the Non-Judicial stamp of Rs.3.15